अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा (धनबाद)।

विविध वाद अभिलेख संख्या–....02..../2020–21

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभि0
25/6/20	यह अभिलेख श्रीमती राधी तुरी, पति–स्व0 भैरव तुरी, सा0–शासनबेड़िया, थाना–निरसा, जिला–धनबाद के द्वारा समर्पित आवेदन–पत्र के आलोक में प्रारम्भ की जाती है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया है कि, मौजा–माड़मा, मौजा नं0–57, साबिक खाता सं0–11, साबिक प्लॉट सं0–39 जिसका हाल खाता सं0–281, हाल प्लॉअ सं0–42 एवं 43 के आंशिक भूमि पर इनके द्वारा नया मकान बनाये जाने के क्रम में विपक्षीगण, परेश मांझी, प्रदीप मांझी एवं सादन मांझी तीनों के द्वारा रंगदारी एवं मकान बनाने में अड़चन डाला जा रहा है। प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित हल्का के राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक....04/07/20....को उपस्थापित करें। (ह0) 25/06/2020 अंचल अधिकारी, निरसा।	
04/07/20	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। इनके द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित भूमि मौजा–माड़मा, मौजा नं0–57, साबिक खाता सं0–11, साबिक प्लॉट सं0–39, रकवा–71 डी0 केवाला दलील सं0–6672, दिनांक–28.07.2006 द्वारा (i) प्रदीप मांझी, (ii) अजीत मांझी, पिता–परेश मांझी तथा साबिक खाता सं0–11, साबिक प्लॉट सं0–39, रकवा–71 डी0 केवाला दलील सं0–6673, दिनांक–31.07.2006 द्वारा केशव मांझी, पिता–प्रभाष मांझी के नाम से क्रय किया गया भूमि है जिसका लगान–रसीद जमाबंदी सं0–841 एवं 840 में निर्गत है जो, रैयती खाते की भूमि है। उक्त भूमि का हाल खाता सं0–281, हाल प्लॉट सं0–42, रकवा–06 डी0, किस्म–पु0प0 काबिल आबाद, अवैध दखल–पूर्वी कोयला क्षेत्र समिति, जिसका हाल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के नाम से दर्ज है। स्थलीय जाँच के क्रम में पाया गया कि लालु यादव एवं अन्य के द्वारा यह बतलाया गया कि हमलोग यहाँ 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं जो, पूर्व से ही E.C.L. का क्वार्टर है। इनलोगों को बिना सूचना दिये प्रदीप मांझी, अजीत मांझी तथा केशव मांझी वर्ष 2006 में अपने नाम से उक्त भूमि का निबंधन करा लिया है। क्वार्टर काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिसका मरम्मती कार्य आवेदक कराना चाहते हैं तो, विपक्षी द्वारा कार्य में बाधा डालते हैं। वर्तमान में क्रेता प्रदीप मांझी, अजीत मांझी व केशव मांझी का भूमि पर दखल–कब्जा नहीं है। विवादित भूमि पर वर्तमान में राधी तुरी, पति–स्व0 भैरव तुरी के द्वारा पुराना मकान को तोड़कर नया मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा था जो, अभी वर्तमान बंद है। राधी तुरी का कहना है कि हम यहाँ पचास वर्षों से मकान में निवास कर रहे हैं। मकान जीर्ण–शीर्ण होने के कारण नया मकान बना रह थे परन्तु परेश मांझी एवं अन्य के द्वारा मकान बनाने में बाधा दे रहे हैं।	

अतः विवादित भूमि से संबंधित दोनों पक्षों को दिनांक–14.07.2020 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक–14/07/20 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

14/07/20 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। दिनांक–14.07.2020 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। पुनः दोनों पक्षों को दिनांक–14.07.2020 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु द्वितीय नोटिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक–04/08/20 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

04/08/20 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। दिनांक–04/08/20 को दोनों पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष, श्री प्रदीप मांझी, पिता–परेश मांझी एवं अजीत मांझी, पिता–परेश मांझी, साकिम–शासनबेड़िया, थाना–निरसा, जिला–धनबाद के द्वारा मौजा–माड़मा, मौजा नं0–57 अन्तर्गत विवादित भूमि से संबंधित सिविल जज जूनियर डिविजन, द्वितीय के न्यायालय, धनबाद में दायर ओ0एस0 नं0–2089/2020 की प्रति प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का मालिकाना हक किसका है यह न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही स्पष्ट हो सकता है। साथ ही उपरोक्त मौजा–माड़मा, मौजा नं0–57, साबिक खाता सं0–11, साबिक प्लॉट सं0–39 जिसका हाल खाता सं0–281, हाल प्लॉट सं0–42 एवं 43 में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु संबंधित थाना को सूचना दें।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। इसकी सूचना उभय पक्षों को दें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा (धनबाद)।

ज्ञापांक–1264/ निरसा, दिनांक–24/11/2020

प्रेषित,

वादी–

राधी तुरी, पति–स्व० भैरव तुरी,

प्रतिवादी–

श्री प्रदीप माजी, पिता–परेश माजी,
अजीत माजी, पिता– परेश माजी,
सभी साकिम– शासनबेडिया, थाना–निरसा, जिला– धनबाद।

विषय :– निरसा अंचल के मौजा–माडमा, मौजा नं०–57 अन्तर्गत साबिक खाता सं०–11, साबिक प्लॉट सं०–39 जिसका हाल खाता सं०–281, हाल प्लॉट सं०–42 एवं 43 भूमि के आलोक में पारित आदेश के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निरसा अंचल के मौजा–माड़मा, मौजा नं०–57 अन्तर्गत साबिक खाता सं०–11, साबिक प्लॉट सं०–39 जिसका हाल खाता सं०–281, हाल प्लॉट सं०–42 एवं 43 भूमि को लेकर प्रथम पक्ष, 1. राधी तुरी, पति–स्व० भैरव तुरी एवं द्वितीय पक्ष, 1. श्री प्रदीप माजी, पिता–परेश माजी, 2.अजीत माजी, पिता–परेश माजी, साकिम–शासनबेड़िया, थाना–निरसा के बीच विवाद उत्पन्न होने से संबंधित परिवाद–पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद–पत्र के आलोक में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में पाया गया कि प्रश्नगत् भूमि से संबंधित मामला माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है जिसका ओ0एस0 नं0– ओ0एस0 नं0–2089/2020 है।

अतः पारित आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जाती है।

अनुलग्नकः–
विविध वाद अभिलेख सं0–02/2020–21।

अंचल अधिकारी,
निरसा।